राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–कोलीवाडा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 26/2011
दायरा तिथि 06.06.2011
निर्णय तिथि 02.06.2016

वादीः–
जबरसिंह पुत्र खुशालसिंहजी
जाति राजपूत निवासी जाखोडा
तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगणः–
1–स्व.वरदसिंह पुत्र खुशालसिंहजी के का.मु.–
1/1–मदनसिंह पुत्र स्व.वरदसिंहजी
1/2–दलपतसिंह पुत्र स्व.वरदसिंहजी
1/3–महेन्द्रसिंह पुत्र स्व.वरदसिंहजी
1/4–स्व.नारसिंह पुत्र स्व.वरदसिंहजी के का.मु.–
1/4/1–कालूसिंह पुत्र स्व.नारसिंहजी नाबालिग जरिए कुदरती वलिया व माता श्रीमती दाखुकंर पत्नी स्व.नारसिंहजी
1/4/2–श्रीमती दाखुकंवर पत्नी स्व.नारसिंहजी
1/5–श्रीमती पेपीकंवर पत्नी स्व.वरदसिंहजी
2–स्व.करणसिंह पुत्र खुशालसिंहजी के का.मु.–
2/1–बादरसिंह पुत्र स्व.करणसिंहजी
2/2–सवाईसिंह पुत्र स्व.करणसिंहजी
2/3–जालमसिंह पुत्र स्व.करणसिंहजी
2/4–कानसिंह पुत्र स्व.करणसिंहजी
2/5–गणपतसियंह पुत्र स्व.करणसिंहजी
जातिगण राजपूत निवासीगण जाखोडा तहसील सुमेरपुर
3–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RTAct,1955

–: नि र्ण य :–

दिनांक 02.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–कोलीवाडा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। लोक अदालत की भावना से हमने, पक्षकारो को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत अपने संयुक्त स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा जाखोडा, पटवार सर्कल कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 760, 765, 767 कुल रकबा 3.18 हेक्टर, किस्म नहरी अव्वल, वार्षिक लगान रूपये 33.39 के बारे में वादी एवं प्रतिवादीगण के बंट–हिस्सा मुजब खातेदार घोषित करने, बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए इस वाद पत्रावली के जरिए अनुतोष चाहा गया है। वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2065–68 व नक्शा ट्रेस की प्रतियां पेश हुई है।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में विधिक प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन रहते इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से इस आशय का राजीनामा पेश किया कि "वादी एवं प्रतिवादीगण संलग्न बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा आपसी सहमति से करने में सहमत है।" उक्त राजीनामा के साथ पटवारी हल्का कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट मय नज़री नक्शा पेश होने पर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

गया। कथित व प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा में वर्णित तथ्यों से जाहिर है कि ग्राम जाखोडा के खसरा नं. 760, 765, 767 रकबा 3.18 हेक्टर के खातेदार मदनसिंह पि. वरदसिंह, जबरसिंह पि.खुशालसिंह, नेनुकंवर बेवा करणसिंह, बादरसिंह, सवाईसिंह, जालमसिंह, कानसिंह, गणपतसिंह पि.करणसिंह, नारसिंह, दलपतसिंह, महेन्द्रसिंह पि.वरदसिंह, पेपी बेवा वरदसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है एवं खसरा नं. 1886 रकबा 1.37 हेक्टर किस्म बा.दो. भूबसिंह, जबरसिंह पि.खशालसिंह, मदनसिंह, नाहरसिंह, दलपतसिंह, महेन्द्रसिंह पि. वरदसिंह, पेपी बेवा वरदसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है, उक्त भूमि के मौके पर सभी खातेदारों ने बंट अनुसार कब्जा काश्त कर रखा है एवं इसी बंट अनुसार पक्षकार रेकर्ड में बंटवाडा करवाना चाहते है।

(3) कि इस प्रकार प्रश्नगत् मामले में उल्लेखित विश्लेषण तथ्यों व साक्ष्य दस्तावेजों के आधारित तथा पटवारी हल्का कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर की प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी भूमि होना साबित होता है और इस संदर्भ में विधिक विचारण करने के पश्चात् हमारे मतानुसार उल्लेखित वादग्रस्त भूमि के बारे में लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे की इबारत अनुसार अर्थात राजीनामा के साथ पटवारी हल्का कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर की प्रस्तुत प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुरूप वादपत्र स्वीकार व डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे की इबारत अनुसार अर्थात राजीनामा के संलग्न पटवारी हल्का कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुरूप वादपत्र स्वीकार व डिक्री किया जाकर सरहद मौजा जाखोडा, पटवार सर्कल कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 760, 765, 767 कुल रकबा 3.18 हेक्टर, किस्म नहरी अव्वल, वार्षिक लगान रूपये 33.39 के बारे में पक्षकारों के मध्य निम्न रूपेण अंतिम बंटवाडा किया जाता है–

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
A	जबरसिंह पुत्र खुशालसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	767	0.78 हेक्टर	नहरी अव्वल
B	मदनसिंह, दलपतसिंह, महेन्द्रसिंह पि. वरदसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	767 765	0.61 हेक्टर 0.17 हेक्टर	नहरी अव्वल नहरी अव्वल
C	मदनसिंह, नारसिंह, दलपतसिंह, महेन्द्रसिंह पि.वरदसिंह, पेपी बेवा वरदसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	765 1886 / 1	0.78 हेक्टर 0.35 हेक्टर	नहरी अव्वल बा.दो.
D	नेनुकंवर बेवा करणसिंह, बादरसिंह, सवाईसिंह, जालमसिंह, कानसिंह, गणपतसिंह पि.करणसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	765 760 1886 / 3	0.13 हेक्टर 0.65 हेक्टर 0.34 हेक्टर	नहरी अव्वल नहरी अव्वल बा.दो.
E	प्रतिवादी–मदनसिंह, दलपतसिंह, महेन्द्रसिंह पि.वरदसिंह, जबरसिंह पि. खुशालसिंह कौम राजपूत सा.देह संयुक्त खातेदार	767	0.06 हेक्टर	नहरी अव्वल
F	भूबसिंह पि.खुशालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	1886	0.34 हेक्टर	बा.दो.

नोटः– उपरोक्त अंतिम बंटवाडा से संबंधित प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा इस निर्णय / डिक्री का अभिन्न भाग माना जायेगा।

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner